functioning and shift their operations out of Delhi. The decision of their relocation would be based on a case by case examination of the objections filled by each unit.

The Supreme Court vide its order dated 25.8.1995 has directed the Delhi Pollution control Committee (DPCC) to take immediate action with regard to shifting of hazardous industries ("H" category) in the first phase.

The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has identified 1226 such industries falling under "H" category. As per the directions of the court these industries are to be relocated out of Delhi. The DPCC has issued a public notice in this regard. The Hon'ble Court has directed the Central Pollution Control Board vide its order dated 15.11.1995 to examine the categorisation of industries done by DPCC, if the industries file their objections for review of their categorisation.

पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा भूमि-अधिग्रहण किये जाने से विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

264. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या पेट्रोलियम निष्कर्षण परियोजनाओं के तहत किये गये भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु इन पेट्रोलियम कम्पनियों ने कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है; और

(ङ) शेष व्यक्तियों का कब तक पुनर्वास कराए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ङ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Criteria for fixation of prices of Petroleum Products

265. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what mechanism is being follow for fixation of the prices of petroleum products including petrol, HSD, superior kerosene and LPG;

(b) which is the agency responsible for the same;

(c) what is the criterion followed for fixation of such prices;

(d) how many times the prices of petroleum products have been revised during the last three years; and

(e) what were the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) to (c) The prices of petroleum products are administered by the Government and are fixed taking into account various factors like production cost, growth in demand and other socio-economic conditions.

(d) The revision in the ex-storage point prices of petroleum products during the lst three years was effected in September, 1992 and January/February, 1994.

(e) The prices of petroleum products were revised, to recover the costs of operation involving exploration, production, processing and marketing etc.

Bringing back Netaji Ashes

266. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to

bring back to India Netaji's ashes kept in the Renkoji Temple near Tokyo;

(b) if so, whether the consent of Netaji's wife who is residing in Germany, has been taken for the purpose; and

(c) if the answers to Parts 'a' and 'b' above be in the affirmative, what plans are being drawn up to pay a befitting homage to the great Freedom Fighter?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) No final view has been taken on this matter till now.

(c) A National Committee to celebrate Netaji's birth centenary has been set up. The first meeting of National Committee to commemorate the birth centenary of Netaji Subash Chandra Bose is scheduled to be held under the Chairmanship of the Prime Minister on November 30, 1995.

भितरकणिका अभ्यारण्य (उड़ीसा) में मगरमच्छों द्वारा की जा रही मनुष्यों की हत्याएं

267. **श्री सोमपाल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अक्तूबर, 1995 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें उड़ीसा में भितरकणिका अभ्यारण्य में मगरमच्छों द्वारा मनुष्यों को मारे जाने की सैकड़ों घटनाओं का उल्लेख है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस अभ्यारण्य के आसपास रहने वाले लोगों की जान की सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाय करना चाहती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां। तथापि, राज्य वन्यजीव प्राधिकारियों के अनुसार, मनुष्यों की हत्या संबंधी आंकड़ें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं तथा 1990 और 1995 के बीच मगरमच्छ द्वारा केवल 13 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर है।

(ख) स्थानीय लोगों को अभ्यारण्य के जल निकायों में प्रवेश न करने के बारे में जानकारी देने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। सकरी खाड़ी के साथ-साथ और नदी के किनारे साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं जिसमें मगरमच्छ होने की चेतावनी दी गई है। किसी व्यक्ति के हताहत हो जाने पर मुआवजा तत्परता से दिया जाता है और पिछले 5 वर्षों में मुआवजे के रूप में 1,15,500 रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

268. **श्री रामजीलाल:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रत्येक राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की जानकारी है;

(ख) सरकार उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा पायेगी;

(ग) हरियाणा में यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए हिसार के टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में कब तक बदल दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां, 31.10.95 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों की राज्य-वार प्रतीक्षा सूची विवरण के रूप में संलग्न है। **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) 31.3.95 को कुल 21.52 लाख कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की तुलना में, 1995-96 के दौरान, हरियाणा में 64900 कनेक्शनों सहित 29.26 लाख कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हों। इस प्रकार, इस लक्ष्य से प्रतीक्षा सूची में दर्ज मौजूदा अधिकांश आवेदकों को मार्च, 96 तक कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 में हरियाणा सहित पूरे देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना है। इस उद्देश्य से, निजी क्षेत्र को भी मूलभूत टेलीफोन सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है।